बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना – 800015

दूरभाष सं0:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215811 / 2215978
ई–मेल:– ceo_bihar@eci.gov.in

Press Release

दिनांक :– 16.07.2015

आसन्न बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 की तैयारियों की समीक्षा के क्रम में आज दिनांक 16.07.2015 को भारत निर्वाचन आयोग के श्री विनोद जुत्शी, उप निर्वाचन आयुक्त, श्री उमेश सिन्हा, उप निर्वाचन आयुक्त, श्री पी० के० दास, महानिदेशक (निर्वाचन व्यय) एवं श्री सुदीप जैन, महानिदेशक (प्रशिक्षण) द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गयी। इस बैठक में श्री अजय नायक, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, श्री आमिर सुबहानी, प्रधान सचिव, गृह विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग, श्री सुनील कुमार, ADG (HQ), श्री अरविन्द कुमार चौधरी, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, श्री राहुल सिंह, सचिव, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, श्री आर० लक्ष्मणन, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, श्री सुशील खोपड़े, IG (Operation), राज्य स्तरीय नोडल पुलिस पदाधिकारी, I.G. CRPF एवं निदेशक (अन्वेषण) आयकर विभाग भी शामिल हुए।

इस बैठक में मूलतः पूरे राज्य में शांतिपूर्ण मतदान हेतु सभी कार्रवाई सुनिश्चित करने के बिन्दु पर विचार विमर्श किया गया। आयोग द्वारा यह निदेश दिया गया कि शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की संवेदनशीलता के आधार पर सभी निरोधात्मक कार्रवाई की जाये। मतदान के दौरान गड़बड़ी फैलाने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके विरूद्ध CrPC, CCA के तहत कार्रवाई करने, सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा से लगने वाले राज्यों/देश के संबंधित जिलों के साथ समन्वय बैठक आयोजित करने संबंधी बिन्दुओं पर विशेष रूप से कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

प्रधान सचिव, गृह विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग को जिलों में निर्वाची पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहित अन्य सभी रिक्त पदों पर प्राथमिकता के आधार पर

पदाधिकारियों को यथाशीघ्र पदस्थापित करने का निदेश दिया गया। इस संबंध में जिलों में निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े हुए 3 वर्षों से अधिक अवधि से पदस्थापित पदाधिकारियों को भी अविलंब स्थानांतरित करने का निदेश दिया गया।

कम्यूनिकेशन शैडो जोन के रूप में चिन्हित क्षेत्रों में सूचनाओं के आदान–प्रदान हेतु पुलिस वायरलेस एवं सेटेलाइट फोन का उपयोग करने के अतिरिक्त इन क्षेत्रों में टावर लगाने के बिन्दु पर भी आवश्यक निदेश दिया गया। सभी पुलिस थानों द्वारा की जा रही कार्रवाई के नियमित ऑनलाइन अनुश्रवण हेतु अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) को कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय के अनुश्रवण हेतु एक Android App भी तैयार किया गया है जिसका उपयोग निर्वाचन व्यय/आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामलों में किया जायेगा। इसका प्रयोग कर कोई भी व्यक्ति इन मामलों के उल्लंघन संबंधी शिकायत को साक्ष्य सहित अपने मोबाईल से भेज सकता है। निर्वाचन व्यय के अनुश्रवण के संबंध में भी निदेशक अन्वेषण, आयकर विभाग तथा सचिव, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के साथ विस्तृत चर्चा की गयी। निर्वाचन की अवधि में शराब के भंडारण एवं bottling plant की CCTV के माध्यम से निगरानी करने, बिहार राज्य के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य भेजे जाने वाले शराब पर विशेष रूप से नजर रखने एवं अवैध शराब कारोबारियों के विरूद्ध विशेष अभियान चलाने का निदेश दिया गया।

आयकर विभाग को पटना हवाई अड्डा सहित, राज्य के अन्य हवाई अड्डों के साथ–साथ पड़ोसी राज्यों के निकटतम हवाई अड्डों, राज्य के सभी प्रमुख होटलों एवं नगदी ले जाने वाले कुरियर सेवाओं पर विशेष रूप से निगरानी रखने, कॉल सेन्टर स्थापित करने तथा इसका नियमित प्रचार–प्रसार करने, सभी जिलों के लिए जाँच दल गठित करने, बैंको के लेन–देन पर निगरानी रखने के संबंध में निदेश दिया गया।

****